106

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4817/2018/नरसिंहपुर/भू.रा.

शिवचरण पुत्र स्व0 बंशीलाल मेहरा, निवासी– ग्राम मनकवारा, तहसील गाडरवार, जिला जिला नरसिंहपुर -- आवेदक

बनाम

1– भवानी पुत्र स्व0 श्री हल्के काछी,
2– सुकल पुत्र स्व0 श्री हल्के काछी,
3– लीलाधर पुत्र स्व0 श्री हल्के काछी,
4– अजमेर पुत्र स्व0 श्री हल्के काछी,
5– जीजीबाई पुत्री हल्के काछी

निवासीगण– ग्राम मनकवारा, तहसील गाडरवार, जिला जिला नरसिंहपुर -- अनावेदकगण

08/08/18

10/08/18

8-8-18

08/08/18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1477/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17.07.2018 एवं आदेश दिनांक 03.08.2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :–

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, तहसीलदार महोदय, गाडरवारा के प्रकरण कमांक 17/अ–6अ/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2017 से उपरोक्त आदेश पारित किया गया कि मौजा मनकवारा स्थित आराजी नम्बर 155/1ख रकवा 1.619 हैक्टेयर भूमि शक्करबाई वैवा रामकिशन मेहरा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही है। उसके पश्चात् नवीन खसरा पंचशाला बनाते समय उक्त आराजी पर वर्ष 1985–86 के पहले हल्केवीर पुत्र श्री भोले भवानी पिता हल्केवीर का नाम दर्ज हुआ, इसके पश्चात् वर्तमान अनावेदक का नाम त्रुटिवश दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त करते हुए तहसीलदार महोदय द्वारा

...र कारण नहीं

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–4817 / 2018 / नरसिंहपुर / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
9–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 1477 / अपील / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17–07–2018 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारंश इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा मौजा मनकवारा स्थित आराजी कमांक 155 / 1ख रकवा 1.619 है0 भूमि का त्रुटिवस राजस्व रिकार्ड में अनावेदक का नाम दर्ज हो गया था जिसे दुरूस्त कराने हेतु तहंसीलदार के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जो उनके द्वारा दिनांक 17.10.17 को आदेश पारित किया, जिससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय आधिकारी गाड़रवारा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक आर0सी0एम0एस0 004039 / अ–6 / 2017–18 में दर्ज हुई जिसमें दिनांक 8.6.18 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई जिससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8.6.18 के विरूद्व स्थगन दिया गया, जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गाड़रवारा जिला नरसिंहपुर प्रकरण कमांक आर0सी0एम0एस0 004039/अ–6/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 8.6.18 के विरूद्व अंतिम निराकरण तक स्थगन दिया गया है, जबकि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–52 के प्रावधानों में हुये संशोधन दिनांक 30–12–2011 में कोई भी राजस्व अधिकारी 89 दिवस से अधिक स्थगन नहीं दे सकता है, लेकिन अपर आयुक्त जबलपुर द्वारा अंतिम निराकरण तक स्थगन देने में त्रुटि की गई है जिससे उनका अंतिरम आदेश दिनांक 17.7.18 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 1477/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 17–07–2018 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा अपर आयुक्त जबलपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रकरण का निराकरण तीन माह के अन्दर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये निराकरण करें।

सदस्य